

अपील / 13 / 2025

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

विजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द जाति ठाकुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेसपो.



अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 14.11.2023, प्रकरण संख्या 02/2023 शीर्षक सरकार बनाम विजेन्द्र, अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधि.

उपस्थित :-

- 1-श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-पैरोकार सरकार रेसपो.

निर्णय

दिनांक 10.04.2026

अपीलान्ट ने यह अपील व विरुद्ध रेसपो. वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 14.11.2023 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1763/0.13 में से 0.01 है. किस्म गे.मु. रास्ता बाके ग्राम पीपला तहसील भरतपुर से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाधीन नियमों के विपरीत पारित किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1763/0.13 के किसी भाग पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है बल्कि उक्त खसरा नं. के सहारे अपीलार्थीगण की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बरान हैं जिन पर अपीलार्थीगण काबिज है। विवादित आराजी रास्ते की मौके पर काफी चौड़ाई मौजूद है। अपीलार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की कोई पैमाईश नहीं

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कराई है। अपीलार्थी को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। तहत न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई नाटिस जारी नहीं है। तहत न्यायालय को तथाकथित अतिक्रमिता भाग की नाप व सीमाएं देनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर पक्का निर्माण बनाकर अतिक्रमण करना बताया है जबकि समस्त निर्माण अपीलार्थीगण का अपने स्वामित्व की आबादी है, में ग्राम पंचायत की स्वीकृति के आधार पर निर्माण किया गया है। प्रकरण देरी से पेश करने के सन्दर्भ में वकील अपीलार्थी का कहना है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को इस सम्बन्ध में बतलाने पर अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई। तत्काल दिनांक 8.7.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल ली जाकर अपील पेश की गई है। जानकारी होने के दिन से अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का कहना है कि देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करने की प्रार्थना करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलान्त ने पक्का निर्माण बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तहत न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलान्त को बेदखल करने की अपीलाधीन आज्ञा पारित की है वह उचित है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावे।

पत्रावलियों का अध्ययन किया गया। अभिभाषक अपीलान्त एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पर विचार किया गया। म्याद के सम्बन्ध में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :-

(A) "Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....3


जिला कलक्टर
भरतपुर

(3)

अपील / 13 / 2025
विजेन्द्र बनाम राज. सरकार

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :-

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"




उक्त नजीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मेरिट पर विचार किया गया।

तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट से जाहिर है कि अपीलान्ट ने गैर मु. रास्ती खसरा नं. 1763/0.13 के रकवा में से 0.01 रकवा में पक्का निर्माण बनाकर अतिक्रमण किया है। जिनके खिलाफ तहत न्यायालय द्वारा बेदखल की कार्यवाही की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने पक्षकार को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.11.2023 में गैरसायल द्वारा जबाब हेतु समय चाहा है। परन्तु पक्षकार को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया गया है एवं तहत न्यायालय द्वारा बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये एकतरफा में 8 दिवस के अन्दर निर्णय पारित किया गया है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अतः प्रकरण को तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बन्धित पक्षकार की मौजूदगी में विवादित आराजी की पैमाइस कर, अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर